न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2011
प्रविष्टि दिनांकः– 10.02.2011

रामेश्वर पुत्र दुर्गालाल जाति शर्मा (व्यास) निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)

1/1शांति देवी पत्नि रामेश्वर जाति शर्मा (व्यास) निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)
1/2गोविन्द व्यास पुत्र रामेश्वर जाति शर्मा (व्यास) निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंकराज0
1/3सम्पत शर्मा पुत्र रामेश्वर जाति शर्मा (व्यास) निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
1/4निर्मला शर्मा पुत्री रामेश्वर जाति शर्मा (व्यास) निवासी दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0

....निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत दूनी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दूनी पचायत समिति देवली जिला टोंक

......नॉन निगरानीकर्ता

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 92 राज0 पंचायत राज0 अधि0 1994 बाबत रद्द/ निलम्बित करने ग्राम पंचायत दूनी का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.01.2011 एंव दिनांक 03.02.2011(कार्यालय नोटिस)

उपस्थितः (1) श्री पवन जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत दूनी पंचायत समिति देवली द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.01.2011 एंव कार्यालय नोटिस दिनांक 03.02.2011 जारी किया गया है जिसे निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर नॉन निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत से तलब की गई। अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता एंव नॉन निगरानीकर्ता अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने दोरान बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत दूनी द्वारा जारी कार्यालय नोटिस नोटिस/आदेश या पंचायत कार्यालय की कार्यवाही दिनांक 18.01.2011 बावत हटाये जाने अतिक्रमण व तुडवाने दुकान, बगीची कानूनी प्रावधानो के सर्वधा प्रतिकूल होने से अवैध व शून्य है तथा ग्राग पंचायत के क्षेत्राधिकार व पंचायत अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है। प्रार्थी गत 55 वर्ष से ग्राम दूनी मे सिवायचक एक बिस्वा रकबे पर काबिज है एंव मौके पर दुकान व बगीची बनी हुई है जिसको तहसीलदार द्वारा नियमन की थी,जिसका उल्लेख

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

विभिन्न वर्षो की नकल (पी–14) मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा किया जाता रहा है। प्रार्थी ने कोई आबादी मे नया अतिक्रमण नही किया है,जिससे कि आम जनता के हित प्रभावित हुए हो या भविष्य मे होने की सम्भावना हो। प्रार्थी नियमानुसार काबिज है एंव दुकान बनाकर बरसो से चाय,पानी का व्यवसाय कर अपना जीवनयापन करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच ने बिना किसी कारण के अवैध तोर पर शक्तियो का दुरूपयोग करते हुए नोटिस दिया है जो चलने योग्य नही है। तहसीलदार देवली ने सम्वंत 2035 मे खसरा नम्बर 2163 मे एक बिस्वा प्रार्थी के पक्ष मे नियमन किया था,तब विवादित स्थान आबादी का भू–भाग नही था। खसरा परिर्वतनशील सम्वंत 2035 मे प्रार्थी के कब्जे का उल्लेख पी–14 मे दर्शाया हुआ है। प्रार्थी ने गत 40–50 साल पहले उक्त रकबे पर दुकान का निर्माण करवाया था। वर्तमान मे दुकान मे मौके पर श्री औममेडिकल स्टोर है। ग्राम दूनी की आम जनता की और से प्रार्थी के विरूद्व आज तक दुकान को लेकर कभी कोई आपत्ति या शिकायत नही की है क्योकि उक्त दुकान से किसी को कोई तकलीफ नही है। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम के पूर्ण बहुमत एंव विधि सम्मत तरीके से दुकान तुडवाने व अतिक्रमण हटाने से संबंधित अलग से पूर्व मे कोई विधिवत निर्णय या आदेश पारित नही हुआ है केवल सीधे ही अतिक्रमण हटाने व दुकान,बगीची तुडवाने की धमकी भरा नोटिस दिया है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ग्राम पंचायत निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत ने पंचायत समिति के समक्ष वर्ष 1989 मे शिकायत की थी,परन्तु भूमि सिवायचक होने से प्रार्थी के पक्ष मे आदेश हो गया था। ग्राम पंचायत को प्रार्थी की दुकान व बगीची को तोडने का हक नही है। प्रार्थी राज0 पंचायत कानून के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण मे पट्टा प्राप्त करने का हकदार हो चुका है। प्रार्थी के विरूध ग्राम पंचायत दूनी ने पूर्व मे भी दिनांक 20.10.2004 को दुकान तोडने का नोटिस दिया था उसके विरूध न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2005 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को सबूत साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने बाबत प्रतिप्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट दूनी के समक्ष वाद स्थायी निषेधाज्ञा प्रुस्तत करने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.05.2016 से वादी का वाद स्थायी निषेधज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित मार्का ए.बी.सी.डी. व इ.एफ.जी.एच अर्थात पूर्व खसरा नम्बर 2163 व हाल गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 2438 की एक बिस्वा भूमि पर वादी को स्वंय जरिये एजेन्ट नौकर या अन्य किसी माध्यम से बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल व उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न ना करे। डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार बनाया जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। अतः ग्राम पंचायत दूनी पंचायत समिति देवली द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.01.2011 एंव कार्यालय नोटिस दिनांक 03.02.2011 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत दूनी पंचायत समिति देवली द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 18.01.2011 एंव कार्यालय नोटिस दिनांक 03.02.2011 जारी किया गया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत दूनी द्वारा जारी कार्यालय नोटिस दिनांक 18.01.2011 एंव प्रस्ताव संख्या 1 बाबत हटाये जाने अतिकमण व तुडवाने दुकान, बगीची कानूनी प्रावधानो के सर्वधा प्रतिकूल होने से अवैध व शून्य है तथा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार व पंचायत अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है। प्रार्थी गत 55 वर्ष से ग्राम दूनी मे सिवायचक एक बिस्वा रकबे पर काबिज है एंव मौके पर दुकान व बगीची बनी हुई है जिसको तहसीलदार द्वारा नियमन की थी,जिसका उल्लेख विभिन्न वर्षो की नकल (पी–14) मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा किया जाता रहा है। प्रार्थी ने कोई आबादी मे नया अतिकमण नही किया है,जिससे कि आम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

जनता के हित प्रभावित हुए हो या भविष्य मे होने की सम्भावना हो। प्रार्थी नियमानुसार काबिज है एंव दुकान बनाकर बरसो से चाय,पानी का व्यवसाय कर अपना जीवनयापन करता चला आ रहा है। वर्तमान मे दुकान मे मौके पर श्री औममेडिकल स्टोर है। ग्राम दूनी की आम जनता की ओर से प्रार्थी के विरूद्व आज तक दुकान को लेकर कभी कोई आपत्ति या शिकायत नही की है।ग्राम पंचायत ने पंचायत समिति के समक्ष वर्ष 1989 मे शिकायत की थी,परन्तु भूमि सिवायचक होने से प्रार्थी के पक्ष मे आदेश हो गया था। ग्राम पंचायत को प्रार्थी की दुकान व बगीची को तोडने का हक नही है। प्रार्थी के विरूद्व ग्राम पंचायत दूनी ने पूर्व मे भी दिनांक 20.10.2004 को दुकान तोडने का नोटिस दिया था उसके विरूध न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2005 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को सबूत साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने बाबत ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट दूनी के समक्ष वाद स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.05.2016 से वादी का वाद स्थायी निषेधज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित मार्का ए.बी.सी.डी. व इ.एफ.जी.एच अर्थात पूर्व खसरा नम्बर 2163 व हाल गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 2438 की एक बिस्वा भूमि पर वादी को स्वंय जरिये एजेन्ट नौकर या अन्य किसी माध्यम से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल व उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न ना करे। डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार बनाया जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली मे उपलब्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट दूनी के निर्णय दिनांक 28.05.2016 से वादी का वाद स्थायी निषेधज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित मार्का ए.बी.सी.डी. व इ.एफ.जी.एच अर्थात पूर्व खसरा नम्बर 2163 व हाल गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 2438 की एक बिस्वा भूमि पर वादी को स्वंय जरिये एजेन्ट नौकर या अन्य किसी माध्यम से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल व उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न ना करे। डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार बनाया जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत दूनी द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 एंव नोटिस दिनांक 18.01.2011 विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ग्राम पंचायत दूनी की कोरम की सहमति के बिना ही स्वंय के स्तर से जारी किया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत दूनी द्वारा दिनांक 18.01.2011 को जारी प्रस्ताव संख्या 1 एंव नोटिस दिनांक 03.02.2011 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता आंशिक रूप से स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत दूनी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व विधिक प्रक्रिया अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:51:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: